अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पॉचू ..... **बनाम** किशनलाल वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर..114सन.2022(किशनगढ़)

	2022 / 114 श्री सुण्डाराम जाट एड	
21.06.2022	**पॉचू बनाम किशनलाल वगैरह (114 / 2022)** पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 17.06.2022 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांटस ने एक राजस्व वाद एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 28.03.2022 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये थे। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र की पत्रावली में उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजी से यह पूर्णतया स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलांट एवं उसके परिवार वालो का वादग्रस्त आराजी पर पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग आज दिन तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। इसके अलावा मूल वाद एवं राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट की सरसों, चना, गेंहू एवं रिजके की फसल बोई हुयी थी। त्रुटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 अपीलांट को उनके कब्जेकाश्त एवं उपयोग–उपभोग से से बेदखल करने पर आमादा है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना–देना नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 त्रुटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं गैर कानूनी आवंटन की आड़ में प्रार्थी / अपीलांट को उसके कब्जे से बेदखल कर, वादग्रस्त भूमि को रहन,दान, बेचान, इकरार, अन्तरण, रूपान्तरण आदि कर नामान्तकरण खुलवा सकते है। यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी / अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 28.03.2022 की क्रियान्विति स्थगित कर ताफैसला मूल अपील ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 45 के नये अन्य खसरा नम्बरो के अलावा खसरा नम्बर 414 / 45, 382 / 45, 410 / 45, 384 / 45 नम्बर के सम्बन्ध में वादग्रस्त आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का ओदश पद्रान करावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 28.03.2022 को यह आदेश दिये गये थे कि प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 30.05.2022 को पेश हों। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर ही नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पॉचू ..... **बनाम** किशनलाल वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर..114सन.2022(किशनगढ़)

लगातार

रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम मे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना–पत्र का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2022 को उपस्थित होंने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर